THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) to (c) Government have decided to streamline the Public Distribution System with focus on poor and has asked the State Govenrments/UT Administrations to identify the pupulation below poverty line and make necessary arrangements for issuing ration cards, delivery of foodgrains at Fair Price Shops for distribution to the poor in a transparent and accurate manner, Actual issue of foodgrains to the States/UTs at specially subsidised prices to the population below poverty line will be made when the States/UTs have identified the below poverty line population and made satisfactory arrangements for issue of foodgrains to them.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नई योजना

123. **श्री राम जेठमलानी:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम गेहूं या चावल सस्ती दरों पर प्रदान करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नई योजना आरंभ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है और देश के किन-किन राज्यों में यह योजना पहले से आरंभ की जा चुकी है; और

(ग) क्या अनेक राज्यों ने इस योजना के क्रियान्वयन में अपनी अक्षमता प्रकट की है, यदि हां, तो उन्होंने यह अक्षमता किस आधार पर प्रकट की है?

खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीबी पर केन्द्रित करते हुए सुप्रवाही बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को केन्द्रीय निगम मूल्यों से लगभग आधे मूल्यों पर प्रति माह प्रति परिवार 10 कि० ग्रा० खाद्यान्न मुहैया कराना है। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:—

(i) गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को केन्द्रीय निगम मूल्यों से लगभग आधे मूल्यों पर प्रति परिवार प्रति माह 10 कि० ग्रा० खाद्यान्न दिया जाएगा।

(ii) गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का पता लगाने का कार्य स्व० प्रो० लाकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल द्वारा बनाए गए तरीके का अपनाकर 1993-94 के लिए योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लगाए गए अस्थायी अनुमानों के आधार पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाएगा।

(iii) तथापि, गरीबी से इतर लोगों के लिए केन्द्रीय निगम मूल्य पर पिछले 10 सालों के दौरान राज्यों द्वारा किए गए वार्षिक उठान के आधार पर खाद्यान्न दिया जाना जारी रखा जाएगा।

(iv) राज्य सरकारों को गरीबों का सही-सही पता लगाने पारदर्शी और सही तरीकों से गरीबों में वितरित करने के वास्ते उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की सुपुर्दगी करने के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित करने होंगे।

(v) सुनिश्चित रोजगार योजना/जवाहर रोजगार योजना के तहत सभी लाभार्थियों को भी 1 कि० ग्रा० प्रति मानव दिवस की दर से विशेष राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न जारी किए जायेंगे।

राज्य सरकारों को गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का पता लगाने और उन्हें विशेष कार्ड जारी करना सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र कदम उठाने को कहा गया है। किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अभी तक इस प्रक्रिया के पूरा होने के संबंध में सूचना नहीं दी है।

(ग) किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अभी तक इस स्कीम के क्रियान्वयन के संबंध में अपनी कोई असमर्थता व्यक्त नहीं की है।